भारत और अन्य का संघ

बनाम

श्री रमेश सिंह राजपूत

14 दिसंबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और अफताब आलम, जे. जे.]

सेवा कानून- भर्ती के लिए नियुक्ति आवेदन- तिथि उल्लेखित जन्म तिथि से भिन्न उम्मीदवार द्वारा प्रकट किया गया जन्म स्कूल रिकॉर्ड- आदेश को चुनौती- बाद के नियमों द्वारा दो साल भर्ती में दी गई छूट- बहस के समय उम्मीदवार द्वारा मांगे गए नियमों का लाभ- नियुक्ति का निर्देश देने वाला न्यायाधिकरण नियमों के आधार पर- उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए- अपील पर अभिनिर्धारित कियाः अधिकारियों ने होने के बावजूद उम्मीदवार का चयन किया है स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार जन्म तिथि की जानकारी, इनकार नहीं कर सका नियुक्ति- हालाँकि, चूंकि बाद के नियमों का लाभ था प्राधिकरण के समक्ष अनुरोध नहीं किया गया, नीचे की अदालतों के आदेश को रद्द कर दिया गया छूट की मांग करने वाले प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के लिए उम्मीदवार को स्वतंत्रता दी गई नियमों के अनुसार- केंद्रीय सिविल सेवा और सिविल पद (ऊपरी आयु सीमा) प्रत्यक्ष भर्ती के लिए) नियम, 1998

एक भर्ती सूचना के अनुसार, उत्तरदाता का चयन 'कुक' के पद के लिए किया गया था। स्कूल के रिकॉर्ड में उनकी जन्म तिथि 17.03.1977 पाई गई थी। प्रत्यर्थी ने एक शपथ पत्र दाखिल किया जिसमें कहा गया था कि उसकी जन्म तारीख 17.03.1978 थी और जन्म तिथि में सुधार की भी मांग की गई थी। प्रत्यर्थी को नियुक्त नहीं किया गया था, क्योंकि वह विद्यालय के अभिलेखों में जन्म तिथि के संदर्भ में प्रमाण पत्र में अधिक आयु का पाया गया था।

प्रत्यर्थी ने केंद्रीय प्रशासन के समक्ष उसकी नियुक्ति के लिए निर्देश की चाहत में आवेदन दायर किया। बहस के समय उन्होंने तर्क दिया कि वह केंद्रीय सिविल सेवा और सिविल पद (प्रत्यक्ष भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा) नियम, 1998 के तहत ऊपरी आयु सीमा में 2 साल की छूट के हकदार हैं जिसके तहत प्रत्यक्ष भर्ती के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में दो साल की वृद्धि की गई थी। न्यायाधिकरण ने हालांकि यह अभिनिर्धारित किया कि आयु में सुधार अपीलार्थियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, लेकिन इस आधार पर आवेदन की अनुमति दी कि वह नियमों को देखते हुए आयु में छूट का हकदार था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि प्राधिकरण ने प्रत्यर्थी को इस आधार पर कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया कि उसने गलत जन्म तिथि दी है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के समक्ष प्रत्यर्थी का का पक्ष यह था कि प्रत्यर्थी की जन्म तिथि 17.3.1977 है। एक अनुलग्नक में उन्होंने इसे 17.3.1978 होने का दावा किया। अपीलार्थियों को इस तारीख के बारे में पता था और इसलिए, उन्हें योग्य उम्मीदवार माना और इसलिए, चयन समिति द्वारा उनका साक्षात्कार लिया गया और उन्हें उपयुक्त पाया गया। इस तरह आगे बढने के बाद अपीलार्थियों के लिए नियुक्ति से इनकार करना संभव नहीं था।[पैरा 11] [951- बी- सी]

2. कैट ने खुद स्वीकार किया कि जन्म तारीख को सुधारने का सवाल अपीलार्थियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं था और यह प्रत्यर्थी के लिए उस संबंध में उचित प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के लिए खुला था। ऐसा कहने के बाद, कैट ने माना कि छूट की गुंजाइश है। इस संबंध में कोई दलील नहीं दी गई। वास्तव में, ऐसा नहीं है कि कैट के समक्ष आवेदन में छूट के पहलू का भी संदर्भ देता है। कैट के समक्ष सुनवाई के दौरान पहली बार इस तरह का रुख अपनाया गया था। उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विचार नहीं किया। यह प्रतिवादी को सलाह दी गई है तो वह छूट के लिए प्राधिकरण को स्थानांतरित कर सकता है। अधिकारियों के पास कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने का अधिकार रहेगा।[पैरा 12 और 13] [951- डी- एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 5953/2007

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.02.2005 से जो कि डब्ल्यू. पी (एस) सं. 12876/2004 में पारित किया गया।

आर. मोहन, एएसजी, एस. वसीम, ए. कादरी, जुबैर अहम खान, चरण लाल साहू, बी. के. प्रसाद और अनिल कटियार - अपीलार्थी की ओर से।

विवेक के. तन्खा, बी. के. सतीजा, रत्ना कौल और सिद्धार्थ गुप्ता - उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा सुनाया गया था।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने के पारित आदेश को चुनौती दी गई है।

3. संक्षेप में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

अपीलार्थी संख्या 2 ने रोजगाार समाचार दिनांक 19-25 अक्टूबर, 2002 में प्रकाशित रोजगार/भर्ती सूचना द्वारा कुक के पद सहित कई पदों

के आवेदन आमंत्रित किए। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के संबंध में सीमा 25 वर्ष के रूप में उल्लेखित की गई थी। प्रत्यर्थी ने अपनी जन्म तिथि 17.3.1978 बताई और उसी आधार पर उसका चयन किया गया। स्कूल प्रमाणपत्र और अन्य अभिलेखों में जन्म तिथि 17.3.1977 दर्शाई गई है। प्रत्यर्थी ने दावा किया कि उसने किसी तथ्य को नहीं छिपाया और उन्होंने अपनी जन्म तिथि के संबंध में सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा किया और एक हलफनामा भी दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि उनकी जन्म तिथि 17.3.1978 थी और उन्होंने स्कूल अभिलेखों में जन्म तिथि को सुधारने की मांग की थी। हालाँकि, स्कूल अभिलेखों में जन्म तिथि के संदर्भ में उनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक का पाई गई, चयनित होने के बावजूद उन्हें नियुक्त नहीं किया गया था।

उनकी गैर- नियुक्ति से व्यथित महसूस करते हुए, हालांकि चुने गए,

इसमें प्रत्यर्थी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर पीठ (संक्षेप में 'कैट') के समक्ष ओ. ए. सं.322/2003 दायर किया। अपीलार्थियों को उन्हें कुक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई। आवेदनों में संशोधन करके उनके द्वारा आग्रह किया गया आधार यह था कि केंद्रीय सिविल सेवा और सिविल पद (प्रत्यक्ष भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा) नियम, 1998 (संक्षेप में 'नियम') जो 1.4.1999 पर लागू हुए थे ने ऊपरी

आयु सीमा में बढा दी गई केंद्रीय सिविल सेवा और सिविल में "प्रत्यक्ष प्रतियोगी परीक्षा" के तरीके से भर्ती की सीमा प्रासंगिक सेवा/भर्ती नियमों में निर्दिष्ट पद, दो साल तक। उन्होंने तर्क दिया कि वह उक्त वृद्धि के लाभ के हकदार थे और यदि दो साल जोड़े गए, वह आयु भर्ती को पूरा करेगा, भले ही जन्म तारीख 17.3.1977 मानी जाए।

4. कैट ने आवेदन को यह मानते हुए अनुमति दी कि नियम लागू होते हैं कुक का पद जिसके लिए प्रतिवादी ने आवेदन किया था और आवेदक उक्त नियमों के तहत दो साल की छूट का हकदार था और यदि ऐसा है आयु में छूट दी जाती है, उसका चयन वैध होगा।

5. अपीलार्थी ने याचिका दाखिल करके कैट के आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाया, जिसे विवादित आदेश के उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों का रुख यह था कि उक्त नियम केवल प्रत्यक्ष प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती के लिए आवेदन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'यूपीएससी') और कर्मचारी चयन आयोग (संक्षेप में 'एससीसी') द्वारा आयोजित सीधी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती पर लागू होते हैं। भारतीय वायु सेना में भर्ती केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से नहीं है, बल्कि स्टेशन/इकाइयों के कमांडिंग अधिकारी द्वारा गठित बोर्ड द्वारा की जाती है और इसलिए, नियम लागू नहीं हुए।

7. उच्च न्यायालय ने पाया कि भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती रूप से की गई थी हालांकि यह यूपीएससी/एससीसी द्वारा नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार प्राधिकरण के तहत की गई थी। इसलिए, कैट ने उचित रूप से माना कि नियम लागू थे। उच्च न्यायालय को आयु की झूठी घोषणा और नियमों की गैर- प्रयोज्यता के बारे में याचिका में कोई सार नहीं मिला।

8. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत किया कि स्वीकृत स्थिति यह है कि उनके अपने हलफनामे के अनुसार, उसने आवेदन में अपनी जन्म तिथि 17.3.1978 का उल्लेख किया है और आवेदन पत्र में मैट्रिक प्रमाणपत्र में इसे 17.3.1977 बताया गया के आधार पर प्रपत्र का उल्लेख किया गया था। कैट ने स्वीकार किया कि जन्म तिथि में सुधार केवल संबंधित प्राधिकारी या शिक्षा बोर्ड के समक्ष उचित आवेदन देकर ही किया जा हो सकता है। इस प्रकार देखने के बाद, कैट ने माना कि यह मामला विश्राम का है।

9. यह तर्क दिया गया था कि चूंकि प्रतिवादी ने स्वयं किसी भी स्तर पर कोई छूट, दावा नहीं किया था और अपनी उम्र के बारे में गलत घोषणा की। इसलिए, कैट और उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अस्थिर है।

10. दूसरी ओर प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत किया गया कि कोई गलत घोषणा नहीं थी। वास्तव में, प्रपत्र और शपथ पत्र में दोनों तिथियों का संकेत दिया गया था।

11. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि प्राधिकरण ने प्रत्यर्थी को इस आधार पर कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया था इसके समक्ष दायर आवेदन से यह है कि प्रत्यर्थी की जन्म तिथि 17.3.1978 है। एक अनुलग्नक में उन्होंने इसे 17.3.1978 होने का दावा किया। याचिकाकर्ताओं को इस तारीख के बारे में पता था और इसलिए उन्होंने उन्हें योग्य उम्मीदवार माना। इसलिए, चयन समिति द्वारा उनका साक्षात्कार लिया गया और उन्हें उपयुक्त पाया गया। इस तरह से आगे बढ़ने के बाद अपीलार्थियों के लिए नियुक्ति से इनकार करना संभव नहीं था।

12. ऐसा प्रतीत होता है कि कैट ने स्वयं स्वीकार किया कि जन्म तिथि को ठीक करना अपीलार्थियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं था और यह प्रतिवादी के लिए उस संबंध में उचित प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के लिए खुला था। ऐसा कहने के बाद, कैट ने माना कि छूट की गुंजाइश है। इस संबंध में कोई दलील नहीं दी गई। वास्तव में, कैट के समक्ष आवेदन में छूट के पहलू का भी संदर्भ नहीं है। कैट के समक्ष सुनवाई के दौरान पहली बार ऐसा रूख अपनाया गया था। उच्च न्यायालय ने दुर्भाग्य से इस पहलू पर विचार नहीं किया।

13. इसलिए, कैट और उच्च न्यायालय के आदेश अस्थिर हैं और रद्द कर दिए जाते हैं। यह प्रतिवादी को सलाह दी गई है तो वह छूट के लिए प्राधिकरण को स्थानांतरित किया गया। अधिकारियों के पास कानून

के अनुसार उचित आदेश पारित करने का अधिकार होगा। यदि विश्राम के लिए प्रार्थना की जाती है तो उसकी स्वीकार्यता या अन्यथा के बारे में हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

14. लागतों के बारे में बिना किसी आदेश के उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है।

के. टी. अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विकास गजराज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।